-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा व्यापार के नाम पर रुपयों का गबन/धोखाधड़ी करने वालें 02 वांछित /वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा द्वारा व्यापार के नाम पर रुपयों का गबन करने वालें 02 वांछित /वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम ओरन के रहने वाले शिवम शिवहरे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को धान खरीद के नाम पर विश्वास में लेकर धनराशि का गबन/धोखाधड़ी किए जाने के सम्बन्ध में थाना बिसण्डा पर सूचना दी गई थी जिसके सम्बन्ध थाना बिसण्डा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री कृष्णकांत त्रिपाठी द्वारा की जा रही थी । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित की कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियुक्तों द्वारा मा0 न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था । जिसके क्रम में दिनांक 11.07.2026 को थाना बिसंडा जनपद बांदा पुलिस टीम द्वारा जनपद बरेली से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फजलुर्रहमान उर्फ गुड्डू पुत्र जमील अहमद निवासी कस्बा रीछा थाना देवरनियां जनपद बरेली ।
2. खलीक अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी कस्बा रीछा थाना देवरनियां जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 83/2025 धारा 316(5)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)/5 एससी/एसटी एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।